उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492006

फोन नं. 0771-2583652-54, ई-मेल dtic-directorate.cg@gov.in

क्रमांक .PROJ-41011/185/2025 रायपुर, दिनांक 03.02.2026

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
जिला – समस्त, छत्तीसगढ़ ।

विषयः- संचालन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बाबत्।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का अधिसूचना क्रमांक GEN- 2101/1319/2025/COM.& INDUS. दिनांक 27.05.2025।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 (यथा संशोधित) के परिशिष्ट-1 की कंडिका (19) में नवीन खंड(फ) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार- "जो इकाईयां औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु अपात्र है अथवा निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करना चाहती है उनके उत्पादन के सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर विनिर्माण एवं मान्य सेवा उद्यम को "संचालन प्रमाण पत्र (Operational Certificate)" संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। इस संबंध में उद्योग संचालनालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।"

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में किये गये उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु पत्र के साथ संचालन प्रमाण पत्र (Operational Certificate) जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश संलग्न प्रेषित है। तदनुसार संचालन प्रमाण पत्र (Operational Certificate) हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जावे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार
(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Sanjay Gajghate
Date: 03-02-2026
16:17:06

अपर संचालक
उद्योग संचालनालय

पृ. क्रमांक .PROJ-41011/185/2025 रायपुर, दिनांक 03.02.2026

प्रतिलिपि:

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by
Amey Tripathi
Date: 03-02-2026
16:25:05

उप संचालक

"संचालन प्रमाण पत्र (OPERATIONAL CERTIFICATE)"

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक GEN-2101/1319/2025/COM.& INDUS. दिनांक 27.05.2025 के बिंदु क्र 19 के अनुसार जो इकाइयाँ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु अपात्र है अथवा निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करना चाहती उनके उत्पादन के सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर विनिर्माण एवं मान्य सेवा उद्यम को "संचालन प्रमाण पत्र" संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

उक्तानुसार संचालन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. इकाई द्वारा संचालन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. भूमि/शेड/भवन पट्टे पर लिए जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 02 वर्ष होना आवश्यक है।
3. अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु परिभाषाएं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं में उल्लेखित परिभाषाओं के अनुसार होगी।
4. यह प्रमाण पत्र विद्यमान उद्यमों को भी जारी की जा सकेंगी तथा इस प्रमाण पत्र का प्रयोग उद्यम के उत्पाद, क्षमता, उत्पादन दिनांक, निवेश, रोजगार को प्रमाणित करने हेतु किया जा सकेगा। संचालन प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी से विद्यमान उद्योग के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण की अभिस्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी।
5. प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व इकाई को उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. इकाई को प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. आवश्यक दस्तावेज-
   - (1) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (उपाबंध -1) में।
   - (2) चार्टर्ड एकाउंटेट फर्म द्वारा जारी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (उपाबंध -2) में।

(3) चार्टर्ड इंजीनियर फर्म द्वारा जारी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (उपाबंध -3) में ।

(4) उद्यमी/अधिकृत प्रतिनिधि का आधार कार्ड।

(5) भूमि संबंधी दस्तावेज/पंजीकृत लीज डीड।

(6) प्रथम कच्चा माल क्रय देयक।

(7) प्रथम विक्रय देयक।

(8) विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र। ताप विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य विद्युत उत्पादन करने वाली इकाईयों का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के निर्धारण हेतु उर्जा विभाग/पीजीसीआईएल/अन्य प्राधिकृत कंपनी के निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

(9) पूर्व में जारी उत्पादन प्रमाण प्रत्र (यथा लागू)।

(10) रोजगार संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप (उपाबंध -4) में ।

(11) पर्यावरणीय संचालन सम्मति अथवा सूचना पत्र (यथा लागू)।

(12) फैक्ट्री लाइसेंस एवं अनुमोदित फैक्ट्री-लेआउट (यथा लागू)।

(13) पार्टनरशिप डीड/एमओए/एओए (यथा लागू) ।

(14) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ।

8. इकाई द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी/उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में इकाई का आवेदन, सभी बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, एक बार में ही संबंधित कार्यालय द्वारा इकाई को आवेदन प्राप्ति से 10 कार्य दिवस के भीतर वापस किया जावेगा। इकाई को किसी भी स्पष्टीकरण हेतु 60 कार्य दिवस का समय दिया जायेगा। 60 कार्य दिवस के भीतर वांछित स्पष्टीकरण जमा नही करने पर आवेदन स्वमेव निरस्त मान्य होगा।

9. पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर इकाई का स्थल निरीक्षण मध्यम एवं वृहद उद्यमों के प्रकरण में महाप्रबंधक/प्रबंधक एवं अन्य प्रकरणों में प्रबंधक/सहायक प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

10. स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी उत्पाद/सेवा का सत्यापन करेंगे एवं वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ होने की तिथि का सत्यापन उत्पाद/सेवा से सम्बंधित प्रथम कच्चामाल क्रय/विद्युत कनेक्शन दिनांक, प्रथम विक्रय की तिथि अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज (यथा आवश्यकता) के आधार पर करेंगे।

11. इकाई द्वारा प्रस्तुत रोजगार संबंधी जानकारी के आधार पर निरिक्षणकर्ता द्वारा रोजगार का सत्यापन किया जाएगा।

12. आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न सहपत्रों के स्वप्रमाणीकरण जानकारियों में, किसी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में, उसे सिद्ध करने का दायित्व संबंधित आवेदक इकाई का ही होगा।

13. निरीक्षणकर्ता अधिकारी, स्थल निरीक्षण के दौरान, सम्पूर्ण परिसर, सभी मशीनों एवं सभी उत्पादों का जियोटैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।

14. निरीक्षणकर्ता अधिकारी इकाई के उत्पाद/सेवा के उत्पादनरत रहने के सम्बन्ध में निरीक्षण करेंगे एवं उत्पाद की क्षमता इकाई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर होगी। इकाई में किये गये निवेश का प्रमाणन इकाई द्वारा प्रस्तुत चार्टर्ड एकांउटेंट प्रमाण पत्र (CA Certificate) के आधार पर होगा।

15. निरीक्षणकर्ता अधिकारी के अनुशंसा अनुसार इकाई के पक्ष में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा परीक्षण उपरांत प्रारूप उपाबंध-5 अनुसार संचालन प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे। प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा।

16. यदि संचालन प्रमाण पत्र आवेदन निरस्तीकरण योग्य है तो इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

17. संचालन प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियों में किसी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि अथवा कमी अथवा भ्रामक जानकारी के आधार पर जारी होना पाया जाता है अथवा इकाई बंद पाई जाती है, तो नोटिस देकर 15 दिवस का अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

18. आवेदन/प्रमाण पत्र निरस्त होने की स्थिति में निरस्तीकरण दिनांक से 45 दिवस के भीतर आयुक्त/संचालक उद्योग के समक्ष अपील की जा सकेगी।

19. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों/सेवा उद्यम के प्रकरणों में अपील शुल्क की राशि रू. 2000/- तथा मध्यम एवं वृहद उद्यमों/सेवा उद्यम के प्रकरणों में रूपये 5000/- का भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी ।

20. अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/तृतीय लिंग/महिला उद्यमी/भूतपूर्व सैनिक/ सेवानिवृत्त अग्निवीर/नक्सल प्रभावितों/आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों/सेवा उद्यम के प्रकरण में अपील शुल्क रूपये 1000/-(यथा लागू कर अतिरिक्त) तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों/सेवा उद्यम से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2500/- (यथा लागू कर अतिरिक्त) का भुगतान किया जाना होगा।

21. अपील शुल्क विभाग के प्राप्ति शीर्ष (0852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 800- अन्य प्राप्तियां, 0674-अन्य प्राप्तियां) में ऑनलाइन/चालान के माध्यम से जमा कर, पावती अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

22. संचालन प्रमाण पत्र की वैधता, जारी दिनांक से 02 वर्षों के लिए होगी।

23. संचालन प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि में उद्यम के स्वामित्व, उत्पाद, निवेश, स्थान परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन के 30 दिवस के भीतर सम्बंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को सूचित कर प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

24. यह प्रमाण पत्र निविदाओं तथा अन्य विभागों में उत्पादन प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जाएगा ।

25. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तथा इसके अंतर्गत जारी अधिसूचना में किसी प्रकार के संशोधन होने की स्थिति में उक्त संशोधन इन दिशानिर्देशों में यथास्थिति लागू होंगे।

26. राज्य शासन, भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा नियमानुसार उचित आदेश पारित कर सकेंगे, परन्तु प्रमाण पत्र को निरस्त करने या उसमे परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा।

(संचालक उद्योग द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Sanjay Gajghate
Date: 03-02-2026
16:20:10

अपर संचालक
उद्योग संचालनालय

उपाबंध–1

शपथ–पत्र

"मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा उसमें कोई तथ्य नही छुपाये गये हैं। मैं/हम तथ्यों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं/हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही सिद्ध ना हो अथवा असत्य हो, तो मैं/हम विधि के अनुरूप कार्यवाही का सामना करूंगा/करेंगे।"

मैं/हम यह भी शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं:–

1. यह कि सभी कानूनी सम्मतियां/स्थानीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र/आवश्यक अनुमति, विनिर्माण/गतिविधि के संचालन हेतु विद्यमान विधि, नियमन तथा प्रभावी नियमों के तहत् प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।

2. यह कि आवश्यक पंजीयन/लायसेंस तथा भू–व्यपवर्तन भी जहां अपेक्षित हो, संबंधित कानूनों, नियमों या प्रभावी आदेशों के तहत् उक्त औद्योगिक गतिविधि के संचालन हेतु प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।

3. यह कि औद्योगिक इकाई में वर्तमान उत्पाद के आवश्यकता अनुरूप यंत्र–संयंत्र स्थापित है एवं कार्यरत् है।

4. यह कि पूरी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि सभी शर्तों का पालन करुंगा/करेंगें, जिसके चूक करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा संचालन प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण के साथ–साथ प्रभावशील अन्य संबंधित कानून एवं नियमों के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही किये जाने का अधिकार रखेंगे।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांकः नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

सील

उपाबंध–2

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

(भाग 1)

औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता ....है व फैक्ट्री..में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा क्र ....दिनांक .... है, इकाई में दिनांक................................तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार रूपये........................ (अक्षरों में).. है, जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन औद्योगिक इकाई के लेखा पुस्तकों/बिल वाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान के पश्चात् किया गया है:–

क्र0	विवरण	कुल निवेशित राशि
1.	2.	3.
(1)	1.1 भूमि – भूखण्ड का क्षेत्रफल .... 1.2 भूमि विकास – योग	
(2)	शेड–भवन –	
(3)	प्लांट एवं मशीनरी –	
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश –	
(5)	जल आपूर्ति निवेश –	
(6)	अन्य	
	योग	

1– मैं/हम एतद् द्वारा सुनिश्चित करता हूं/करते है कि मैं/हम निर्धारित पंजी, लेखा पंजी एवं उक्त इकाई के संबंध में बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन–सह–परीक्षण कर चुका हूं/चुके हैं।

2– मैं/हम पूरी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि इस प्रमाण–पत्र में दर्शाये गये जानकारी यदि असत्य अथवा झूठ सिद्ध होती है तो मैं/हम दंडात्मक कार्यवाही या अन्य परिणाम जो विधि में निर्धारित हो सकें या अन्यथा सुनिश्चित हो, के योग्य होंगे।

3– मैं/हम संबंधित अधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की सूचना जो सत्यापन हेतु अपेक्षित हो, तत्काल प्रस्तुत करुंगा/करेंगें।

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील व हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक
यूडीआईएन नं.

दिनांक..
स्थान..
आवेदक के हस्ताक्षर

टीप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।

(भाग 2)

इकाई के उत्पादन का विवरण, बिकी एवं कर भुगतान (विगत 03 वर्ष का, यथा लागु) के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाणपत्र

इकाई का नामः
उत्पादन क्षमताः

क्र0	माह	उत्पादन	बिकी	जीएसटी भुगतान की राशि
1	अप्रैल			
2	मई			
3	जून			
4	जुलाई			
5	अगस्त			
6	सितम्बर			
7	अक्टूबर			
8	नवम्बर			
9	दिसम्बर			
10	जनवरी			
11	फरवरी			
12	मार्च			

1— मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैंः—
यह कि उक्त सूची का मिलान मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों, देयकों एवं अन्य दस्तावेजों से किया गया है एवं सत्य पाया गयाहै

2— यह कि उक्त राशियों का भुगतान इकाई द्वारा दिनांक.................. से .... की अवधि में वास्तव में किया गया है। (विगत 03 वर्ष का, यथा लागु)

3— यह कि उक्त जानकारी समस्त संबंधित विभागों में जमा किये गये रिर्टन के अनुसार है।
यह कि मेरा/हमारा आवेदक इकाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से व्यावसायिक संबंध के अलावा कोई भी संबंध नही है।

4— यह कि उक्त परिशिष्ट में दी गई जानकारी मेरे/हमारे द्वारा प्रमाणित की गई है।

5— मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि इस प्रमाण—पत्र में कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पायी जाती है तो छत्तीसगढ़ शासन को मेरे/हमारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं इस प्रकरण को **The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi** के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर

नाम.......................... पताः.................................
..सदस्यता क्र0 ....

फर्म पंजीयन क्र0............................

उपाबंध–3

Chartered Engineer Certificate

(On letter head only)

(Plant & Machinery)

I have visited the plant site of M/s ___ to inspect and verify installation of plant & machinery for manufacturing of ....

This is to certify that the following plant & machinery has been installed at their unit situated at _______. All plant & machinery is commissioned and in running condition.

S.No.	Name of Plant & Machinery	Total Investment (In Rs.)
1.		
2.		
3.		

- Date of installation/commissioning..
- Date of inspection...

This certificate is issued after inspection and verification of the machines and document. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect. no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

Place:

Date:

Name.

Signature & Seal.....................

Membership No. ....

Note:

1. above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only.
2. it is to be clarified that plant & machinery means main manufacturing machine and manufacturing equipment such as tools, jigs, dies, and mould,
3. Value of Plant and Machinery shall include GST and transportation charges paid on it.

Chartered Engineer Certificate
(Civil)

This is to certify that the construction of Civil Work of **(Unit Name)** manufacturing/service **(Product Name)** situated at **(Location)** is completed. I have inspected the said premises on (date of inspection). The details of the value of expenditure incurred as per approved MAP for Technical Civil Work from …… to …… are as under:

Sr No	Description of Work	Area in Sq Ft	Rate per sq ft	Amount
1	Factory Building			
2	Warehouse			
3	Administrative Building			
4	Labour Room			
5	Security Guard Post			
6				

Name.
Signature & Seal....................
Membership No. ....

उपाबंध–4

औद्योगिक उपक्रम में उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार की जानकारी

औद्योगिक उपक्रम का नाम एव पता :

क्र.	श्रम संवर्ग		योग		
			राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर के निवासी	योग
1	2		3	4	5
1	अकुशल	पुरुष			
		महिला			
		अन्य			
2	कुशल	पुरुष			
		महिला			
		अन्य			
3	प्रबंधकीय	पुरुष			
		महिला			
		अन्य			
	योग				

औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

उपाबंध–5

Reference…………

DISTRICT TRADE & INDUSTRIES CENTRE, DIST.- ----------
POSTAL ADDRESS, PIN CODE, OFFICE LANDLINE, OFFICIAL E-MAIL
CHHATTISGARH

Certificate no……………. Dated : dd/mm/yyyy
valid upto : ....

Operational Certificate
(Name and address of the Industrial Unit)

This is to certify that on the basis of information furnished by M/S (entity name), PAN:........., (Micro/Small/Medium/Large) (manufacturing/service) enterprise at the address (address) in the State of Chhattisgarh, is operational, as per details below:

1. **Products manufactured/ Service provided**

Sr. No.	Product/Service Name	Activity Code	Annual Capacity	Unit	Product Description	Production Date
1	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled
2	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled

2 Total fixed Capital Investment (Rupees in lakhs) as on date …..........(date as given in application)

Sr. No	Type of Asset	Investment
1	Land/ Land Development	
2	Shed-Building	
3	Plant & Machinery/Equipment	
4	Plant & Machinery/Equipment For Research & Development	
5	Effluent Treatment Plant	
6	Electricity Connection	
7	Other Electrical	
8	Water Installation	
9	Water harvesting/ recycling/ zero waste	
10	Others	
	Total	

3. Total manpower deployed in the industrial unit, as on…………… (Inspection date) is as under

Type of labour		Total Employees of the Industrial Unit		
		State Domicile	Others	Total
Unskilled	Male			
	Female			
	Other			
Skilled	Male			
	Female			
	Other			
Managerial/ Administrative	Male			
	Female			
	Other			
Total				

Notes :

1. Capacity/ Installed production capacity mentioned anywhere in this certificate, is as reported by the Industrial Unit only.
2. Capital investment as indicated in this certificate is on the basis of information furnished by the Unit and Chartered Accountant.
3. The unit shall bear full and exclusive responsibility for securing all required legal compliances, No Objection Certificates, and necessary approvals for its operations. the unit is solely accountable for the validity and authenticity of its licenses, registrations, and certificates.
4. This certificate is to be recognized as equivalent to the Production Certificate across tenders and other departmental applications.
5. This is a one-time computer-generated certificate and does not require any seal and signature. This certificate can be verified at http//oneclick.cgstate.gov.in
6. Any other remark (which may be necessary and important) ……………………..
7. **In favour of the above Industrial unit, following certificates have previously been issued :-**
   1- Production certificate/Continuity Certificate/Operational Certificate No ………, Dated……………, Issued by…………………

Chief General Manager/General Manager
District Trade & Industries Centre, Dist.-